मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाईन, मथुरा

पत्रांकः 634 /म0वृ0वि0प्रा0/2020–21 दिनांक 25 अगस्त, 2020

ADM F/A R.O. PCB

प्रेषक,

अध्यक्ष समिति/सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा।

सेवा में,

जिलाधिकारी
मथुरा।

D.M./COLLECTOR MATHURA 25/08/2020

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 1040/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 05.05.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 1040/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 05.05.2020 द्वारा प्रकरण में दिनांक 31.08.2020 तक आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। स्वकीय कार्यालय पत्र सं0 226/ओ0एच0डी0/2020 दिनांक 03.06.2020 द्वारा उपरोक्त पर मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित की गईः–

1. सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा	अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा	सदस्य/सचिव
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (नि0खं0), मथुरा	सदस्य
4. अधिशासी अभियन्ता, अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा	सदस्य
5. तहसीलदार, सदर	सदस्य

गठित समिति द्वारा दिनांक 06.06.2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा स्थल निरीक्षण आख्या पत्रांक 341 दिनांक 13.07.2020 प्रस्तुत की गई। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि श्रृंगारवट, चीरघाट के समीप लोक निर्माण विभाग की निर्माण ऐजेन्सी द्वारा स्थल पर कार्यालय/स्टोर तथा सिंचाई विभाग का चलित/अस्थाई कार्यालय बना हुआ है। स्थल पर सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र की भूमि यमुना डूब क्षेत्र में कुछ स्थायी निर्माण पाये गये। जिन्हे हटाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग को कार्ययोजना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, तथा यह भी निर्देशित किया गया कि धार्मिक पर्यटन के महत्व को देखते हुये इस क्षेत्र के अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु कार्ययोजना एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें। लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–1 द्वारा यमुना किनारे मार्ग की 300मी0 लम्बाई में जनसुविधा के दृष्टिगत सीमेन्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण कुछ समय पूर्व किया गया है। यह मार्ग प्राचीन स्मारक/मंदिरो को सुरक्षित रखने के लिए भी अपरिहार्य है, जिसका उल्लेख याचिका में किया गया है। इसके

निर्माण के सम्बन्ध एवं स्थल पर बने हुये स्टोर को हटाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–1 को निर्देशित किया गया ।

उक्त गठित समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 06.06.2020 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग मथुरा के पत्रांक 1673/सी–7 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई जो दांयी ओर संलग्न है। स्थल पर लोक निर्माण विभाग की निर्माण ऐजेन्सी द्वारा बनाये गये स्टोर/कार्यालय को जिला प्रशासन के सहयोग से दिनांक 05.08.2020 को हटवा दिया गया। (स्थल फोटोग्राफ एवं उक्त विषयक अनुपालन आख्या संलग्न है)

उक्त गठित समिति दिनांक 03.06.2020 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा के पत्रांक 1747/अपर/कोर्ट केस/एन0जी0टी0 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है जो दायी ओर संलग्न है। जिसके अनुसार यमुना नदी के रिवर बेड में ऐसा कोई अस्थाई/स्थाई अतिक्रमण नही है जिससे यमुना नदी के सामान्य प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नगण्य है। श्रृंगारवट व चीरघाट पर नदी के किनारे मल्लाहों द्वारा अस्थायी प्रकृति की झुग्गियां डाल ली जाती हैं, जिन्हें समय–समय पर प्रशासन के सहयोग से हटाया जाता रहा है। सिंचाई विभाग नदियों/नालो का संरक्षक (कस्टोडियन) विभाग है। इस क्षेत्र में पाये गये निर्माणों के स्वामित्व सम्बन्धी भूमि के दस्तावेजों की वैद्यता व सत्यापन की स्थिति राजस्व विभाग द्वारा ही स्पष्ट की जा सकती है, तथा विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र के नदी के किनारे के सौन्दर्यीकरण हेतु परियोजना विचाराधीन है। जिस पर मा0 उच्च न्यायालय में वाद सं0 48661/2016, योजित है। संन्दर्भित वाद के निर्णीत होने के उपरान्त सौन्दर्यीकरण परियोजना का कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना/अनुपालन आख्या दांयी ओर संलग्न है।

केशीघाट के समीप मांट क्षेत्र के अंतर्गत नदी के किनारे जहांगीरपुर खादर तहसील मांट में कुछ अस्थायी झुग्गियां हैं, जिन्हें हटाये जाने हेतु उप जिलाधिकारी मांट को पत्रांक 340/ म.वृ.वि.प्रा./2020–21 दिनांक 13.07.2020 द्वारा निर्देशित किया गया है।

वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर स्थित श्रृंगारवट व चीरघाट पर यमुना नदी व परिक्रमा मार्ग के मध्य बाढ़/डूब/खादर की भूमि जो सिंचाई विभाग के नियंत्रण में है। इस भूमि पर प्राधिकरण द्वारा किसी भी निर्माण की अनुमति प्रदान नही की गई है, और न ही की जाती है।

वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर श्रृंगारवट एवं चीरघाट के मंदिर गिर्राज मंदिर व गौशाला के नाम से एक अवैध निर्माण पूर्व में किया गया है, जिसके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण न्यायालय में वाद सं0–80/2016–17 योजित है। उभय पक्ष की सुनवाई उपरान्त गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

अनुपालन आख्या सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः– सम्बन्धित विभाग की अनुपालन आख्या एवं स्थलीय फोटोग्राफ्स।

तहसीलदार सदर मथुरा (सदस्य)	**अधिशासी अभियन्ता** निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0 (सदस्य)	**अधिशासी अभियन्ता** अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा (सदस्य)	**क्षेत्रीय अधिकारी** उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा, (सदस्य/सचिव)	**अध्यक्ष, समिति/ सचिव** मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, मथुरा

दूरभाष सं0–0565–2550295 Email ID:-cd1pwdmathura@gmail.com

पत्रांक 1673 / C-7 दिनांक 20/8/2020

सेवा में,

सचिव
अध्यक्ष समिति
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
32, सिविल लाइन्स, मथुरा।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र संलग्न 1040/2019 (आई0ए0 संख्या–38/2020) आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा के पत्रांक संख्या 226/ओ0एस0डी0/2020 दिनांक 03.06.2020 तथा आपका पत्रांक 341 दिनांक 13.07.2020 (निरीक्षण आख्या)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त के क्रम में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

(आख्या मय फोटो तीन प्रतियों में)

(ब्रिजेश कुमार दीपक)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
मथुरा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा

पत्रांकः 1747 /अपर/कोर्ट केस/एन0जी0टी0/ दिनांक : 21 /08/2020

विषय :— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 सं0 1040/2019, आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।
संदर्भ :— आपका पत्रांक 341/ दिनांक 13.07.2020 (निरीक्षण आख्या)

अध्यक्ष समिति/सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

कृपया अपने संदर्भित निरीक्षण आख्या पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके सम्बंध में अवगत कराना है कि वृन्दावन (मथुरा) स्थित नदी के घाटों का विस्तार, नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की परियोजना के अन्तर्गत नये घाट का निर्माण (0.600 कि0मी0), केसीघाट की मरम्मत (0.125 कि0मी0), लाइटिंग इत्यादि का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

विषयगत वाद में वर्णित भूमि के सम्बंध में अवगत कराना है कि परिक्रमा मार्ग एवं यमुना नदी के मध्य के स्थान पर अस्थायी खोखे, स्थायी मकानों व गौशालाओं द्वारा निर्माण किया गया है। जिसके सम्बंध में उनसे बातचीत करने पर उनके द्वारा जमीन सम्बंधी दस्तावेज उपलब्ध होने के बारे में बताया गया है।

साथ ही सूचनीय है कि सिंचाई विभाग नदियों/नालों का संरक्षक (कस्टोडियन) विभाग है तथा इनकी देख रेख व नियंत्रण सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। इनकी भूमि का अधिकार मथुरा जनपद प्रशासन का है तथा भूमि के दस्तावेजों की वैधता व सत्यापन की स्थिति राजस्व विभाग द्वारा ही स्पष्ट की जा सकती है।

प्रश्नगत वाद के सम्बंध में निवेदन करना है कि यमुना नदी के रिवर बैड में ऐसा कोई भी अस्थायी/स्थायी निर्माण/अतिक्रमण नही है जिससे यमुना नदी के प्रवाह पर कोई भी प्रभाव उत्पंन्न हो।

प्रस्तावित परियोजना के सम्बंध में ही एक अन्य वाद 594/2016, आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मा0 अधिकरण द्वारा निर्णित किया जा चुका है, जिसमें परियोजना के परीक्षण सम्बंधी समस्त कार्यवाही की जा चुकी है। परियोजना से ही सम्बंधित एक अन्य वाद 48661/2016, महंत मधुमंगल शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित है। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये है। वाद के विभाग के पक्ष में निर्णित होने के उपरान्त परियोजना का कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

21/08/2020
अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा

अनुपालन आख्या

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0-1040/2019 आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 05.05.2020 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के पत्रांक 226/ओ0एस0डी0/2020 दिनांक 03.06.2020 द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 06.06.2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष ''सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा अस्थाई / स्थाई अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 05.08.2020 को लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित स्थल पर अस्थाई / स्थाई अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही कर दी गयी है। (फोटोग्राफ संलग्न)

जनपद मथुरा में वृन्दावन परिक्रमा मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 10.500 कि0मी0 है। उक्त मार्ग पूर्व में निर्मित है। परिक्रमा मार्ग से चीरघाट, भ्रमर घाट तक लम्बाई 0.300 कि0मी0 का भाग, जो पूर्व में कच्चा व उबड़-खाबड़ था, का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-171(1)/23-11-2019-1/2(100)/2019 दिनांक 18.09.2019 के अन्तर्गत परिक्रमार्थियों / श्रद्धालुओं हेतु जनहित में किया गया है। मार्ग पर सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। यह मार्ग प्राचीन स्मारक को सुरक्षित रखने के लिये भी अपरिहार्य है। मार्ग निर्माण से पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ब्रिजेश कुमार दीपक)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
मथुरा

H:\Vishal\Letter Password - 123456.doc

कार्य का नाम :— वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक अतिक्रमण हटाये जाने से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

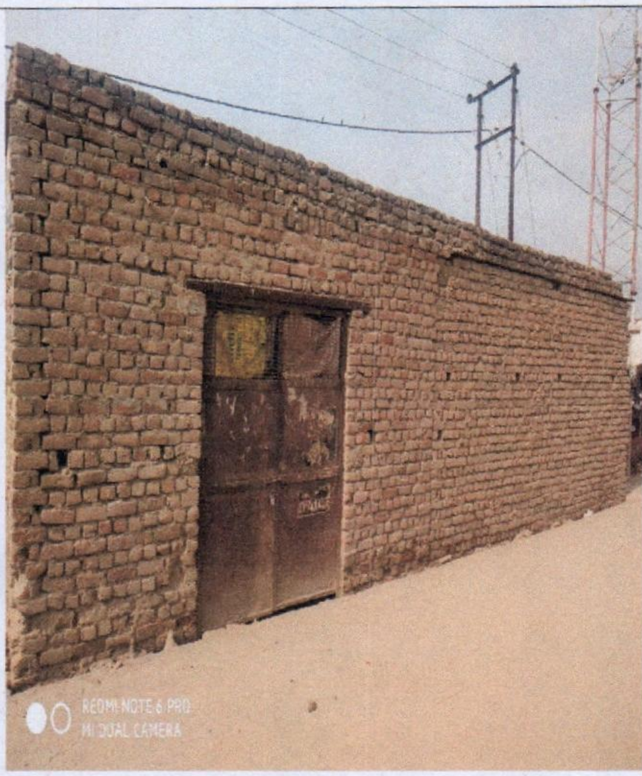

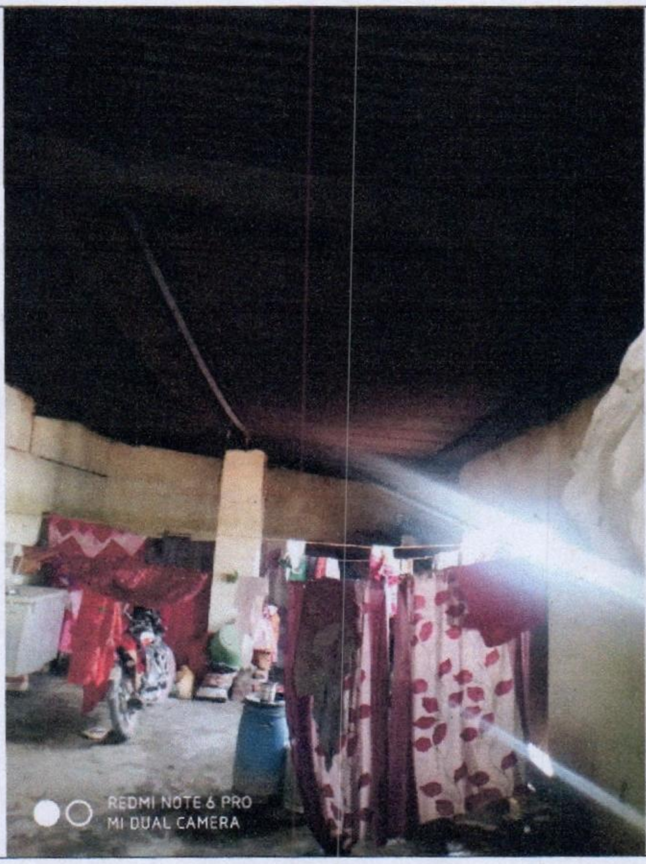

कार्य का नाम :— वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक अतिक्रमण हटाये जाने से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

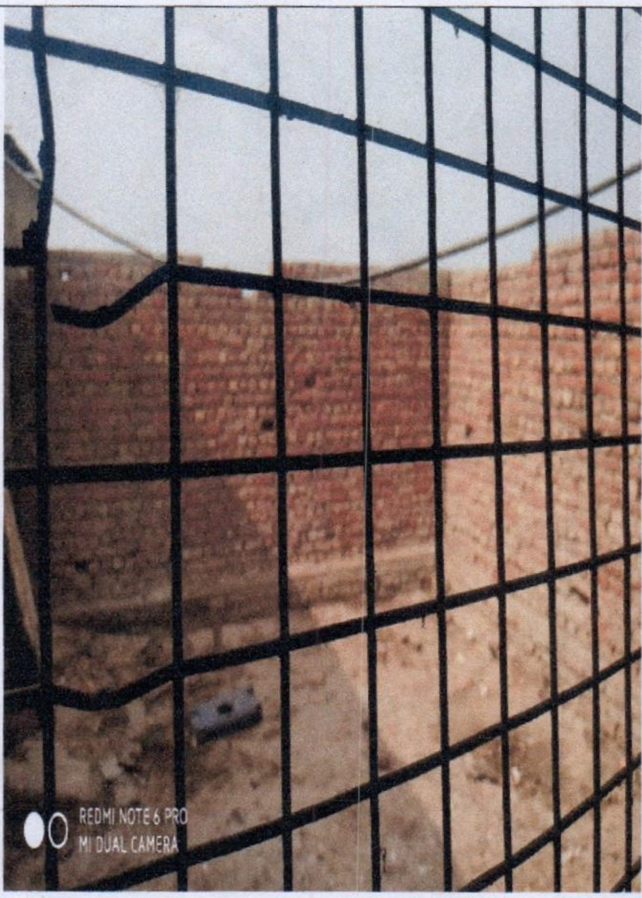

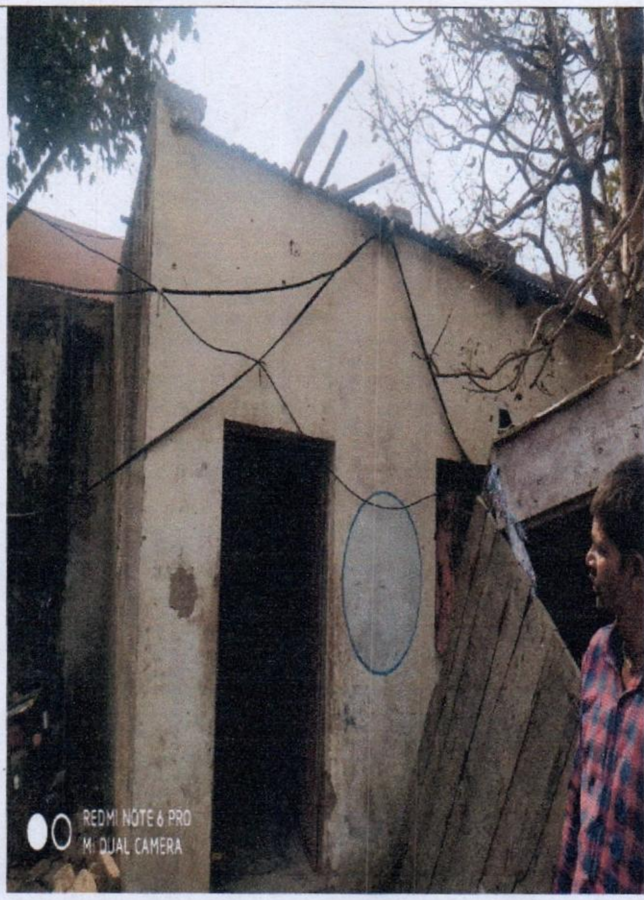

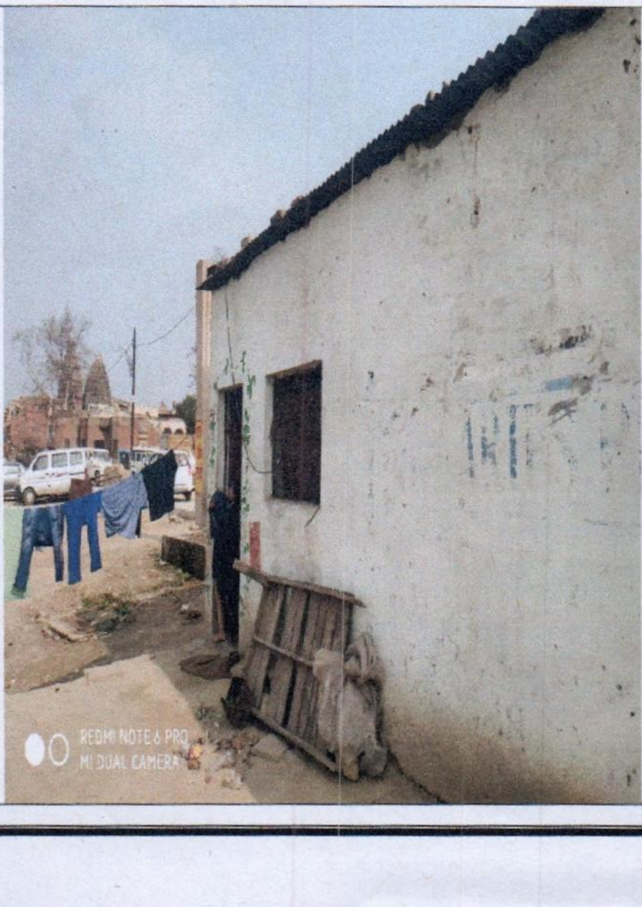

कार्य का नाम :— वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक अतिक्रमण हटाये जाने से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

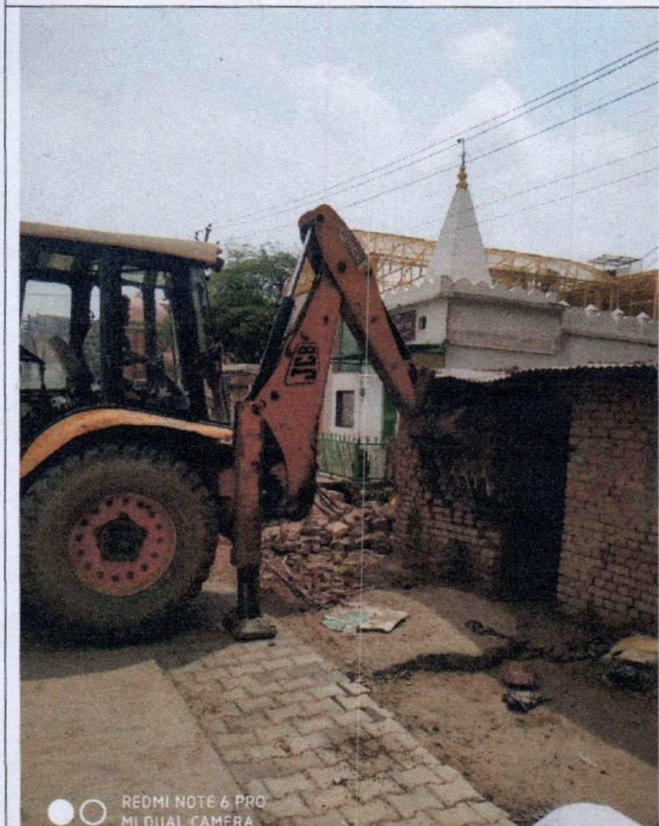

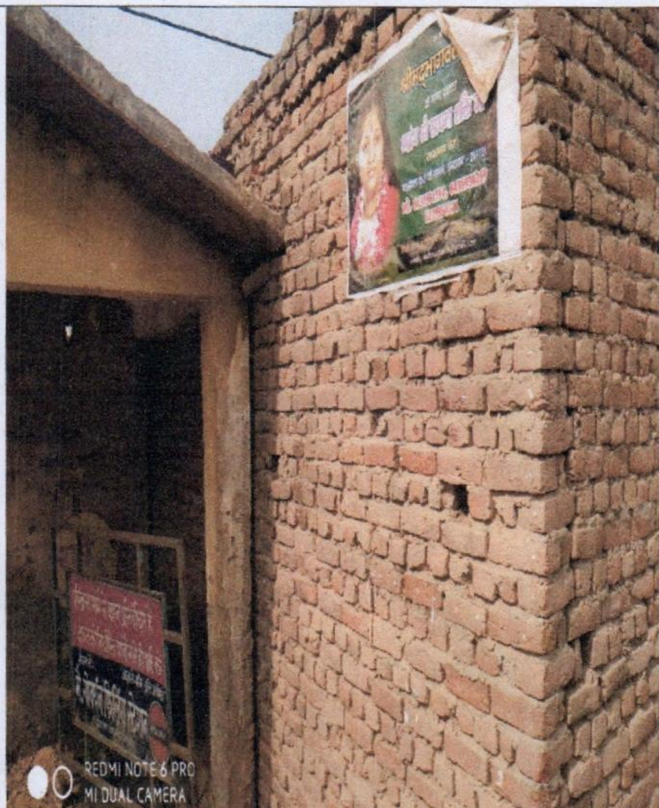

कार्य का नाम :– वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रंगारवट से भवराघाट तक अतिक्रमण हटाये जाने से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

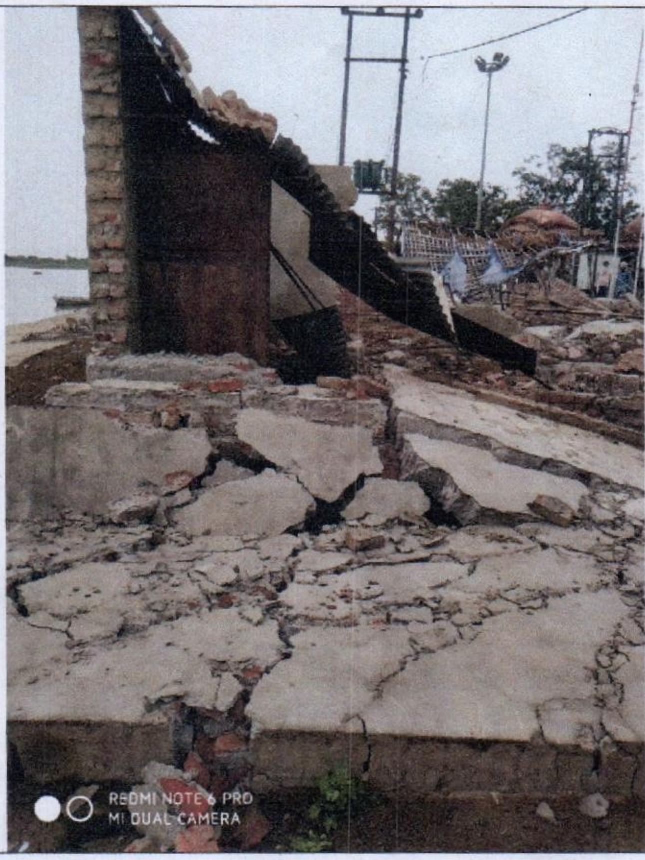

कार्य का नाम :— वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में श्रृंगारवट से भवराघाट तक अतिक्रमण हटाये जाने के उपरान्त की स्थिति से सम्बन्धित फोटोग्राफ।

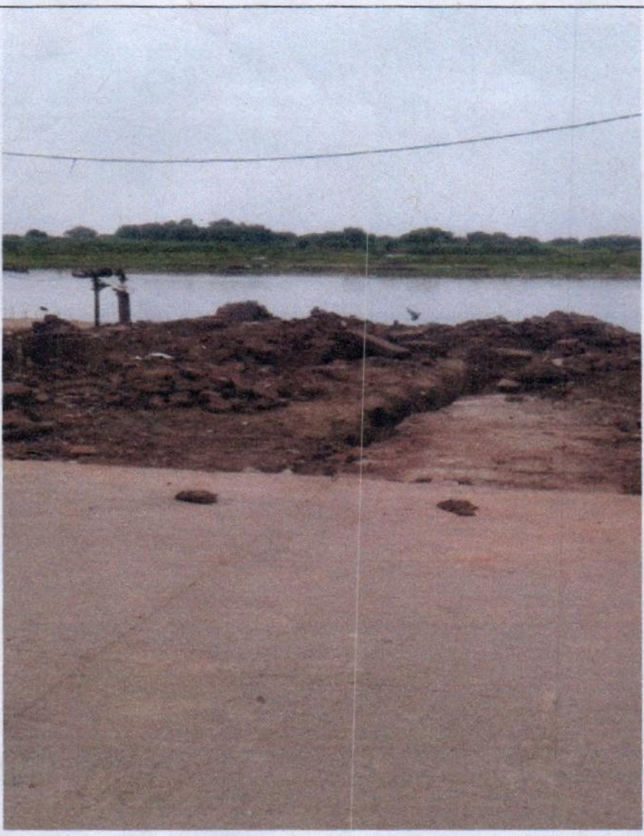

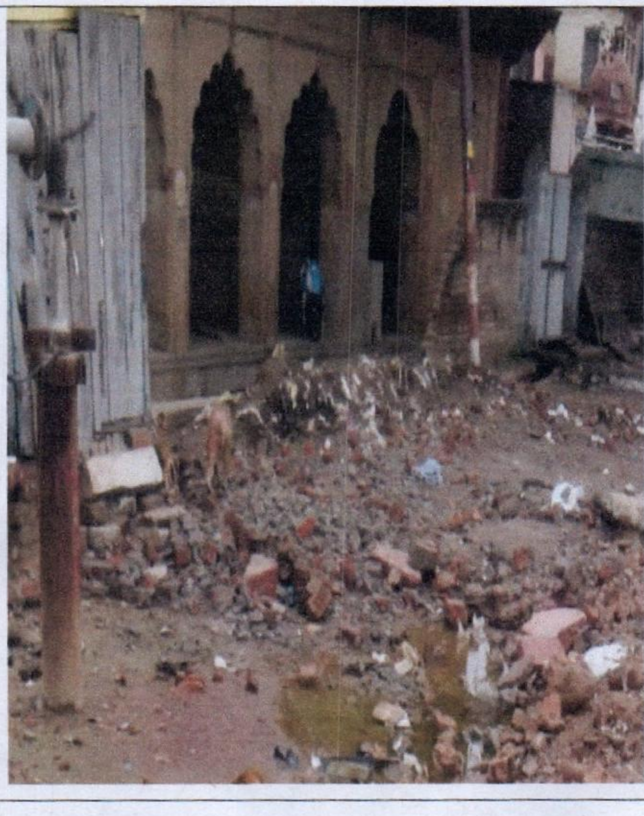

R.O. PCB

D.M./COLLECTOR MATHURA 02/06/2020

Item No. 02 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 1040/2019
(I.A. No. 38/2020)

(With Report dated 05.03.2020)

Akash Vashishtha Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 05.05.2020

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s): Mr. Rahul Choudhary, Advocate

ORDER

1. A factual and action taken report was sought from a joint Committee comprising Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPPCB), UP Irrigation Department and District Magistrate, Mathura with reference to the allegation that a road was being illegally constructed on the river bed of Yamuna in Vrindavan - Mathura between *Shringarvat* and *Keshi Ghat* and other illegal constructions, including multi-storied buildings, had also come up on the active floodplains and the riverbed of Yamuna in the holy town of Vrindavan. Irreparable damage was being done to ancient Ghats by filling the steps of the ancient *Ghats*, including *Cheer Ghat, Govind Ghat* and *Bhramar Ghat*, had also been filled with construction rubble and debris to build an approach road to transport the

Magistrate, Mathura with the information on the subject to ensure further effective action in accordance with law.

5. Report may be furnished on or before 31.08.2020 by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

List for further consideration on 02.09.2020.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

May 05, 2020
O.A. No. 1040/2019
(I.A. No. 38/2020)
DV

मा. राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित याचिका संख्या 1040/2019 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2020 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा गठित समिति के पदाधिकारियों द्वारा चीरघाट, विश्राम घाट पर स्थल निरीक्षण के फोटोग्राफ्स

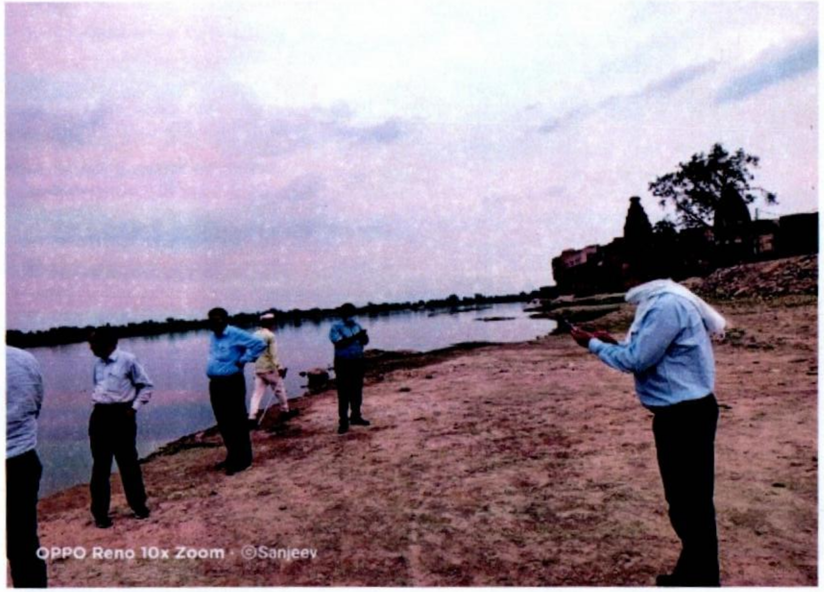

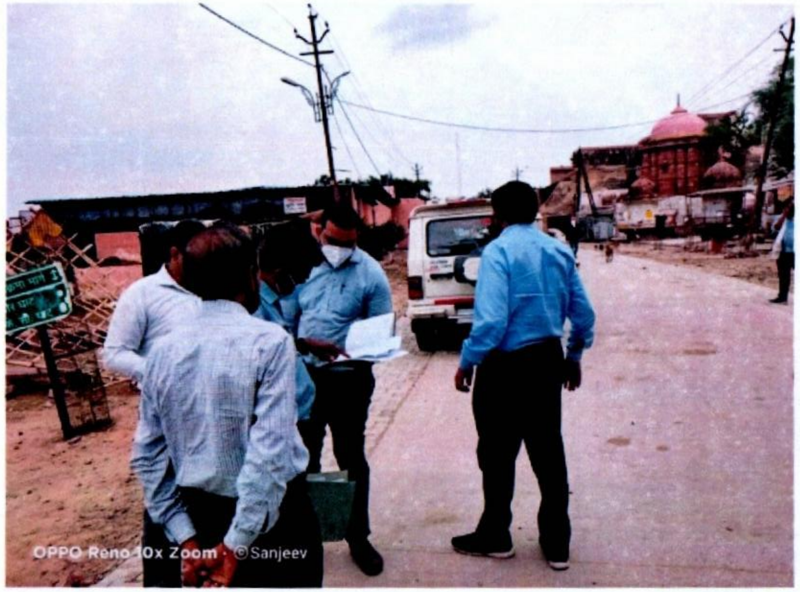

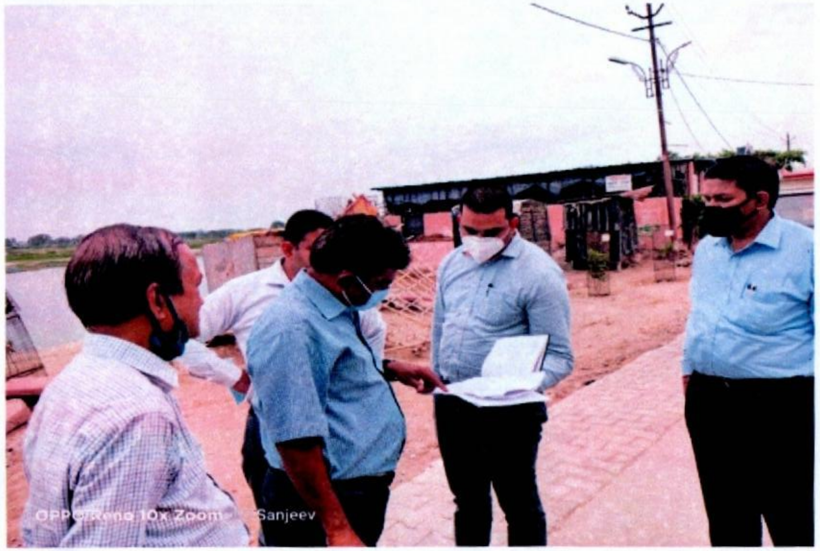

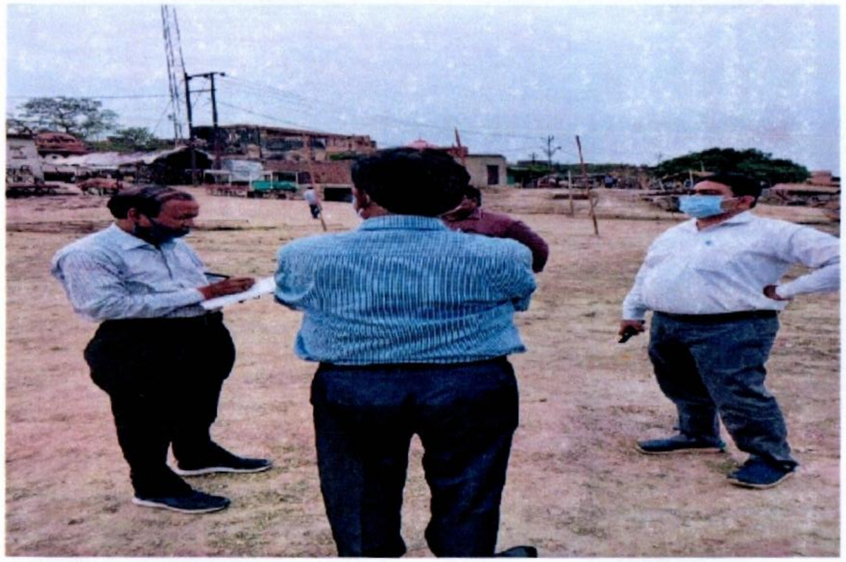

मा. राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित याचिका संख्या 1040/2019 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2020 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा गठित समिति के पदाधिकारियों द्वारा चीरघाट, विश्राम घाट पर स्थल निरीक्षण के फोटोग्राफ्स

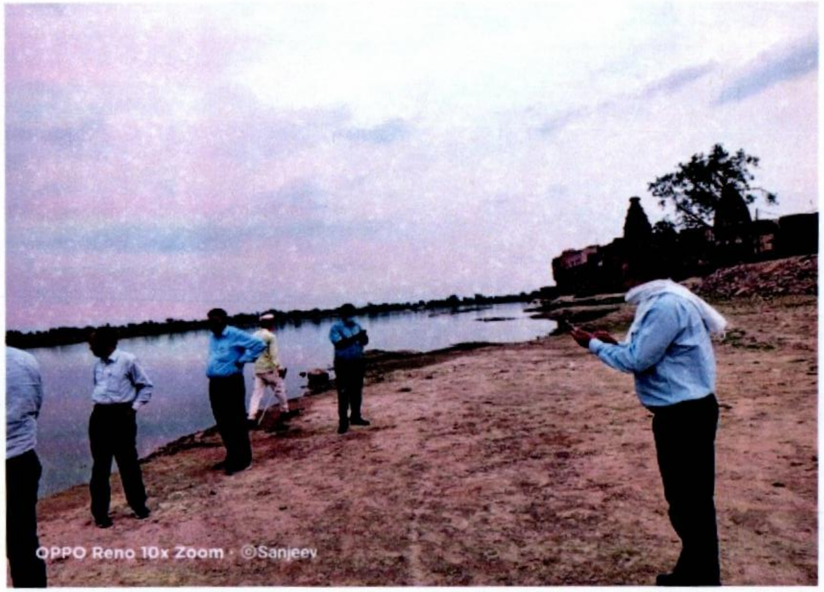

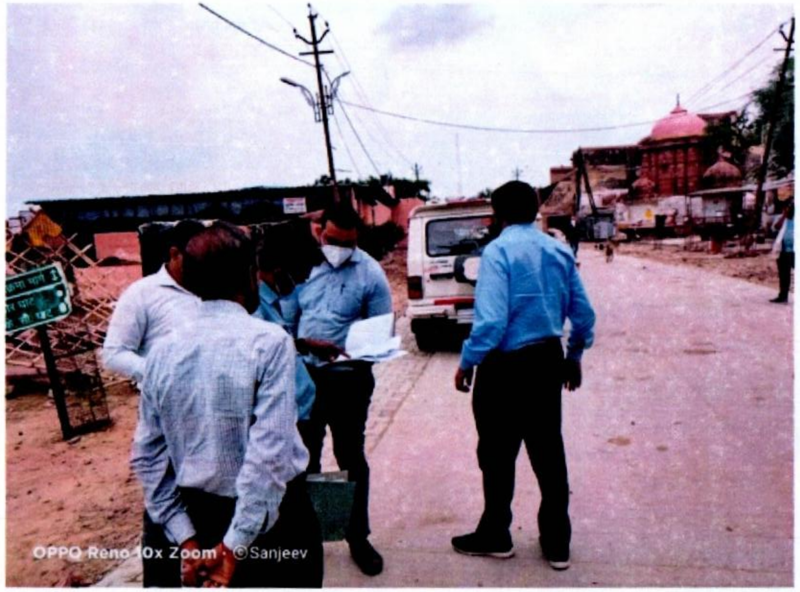

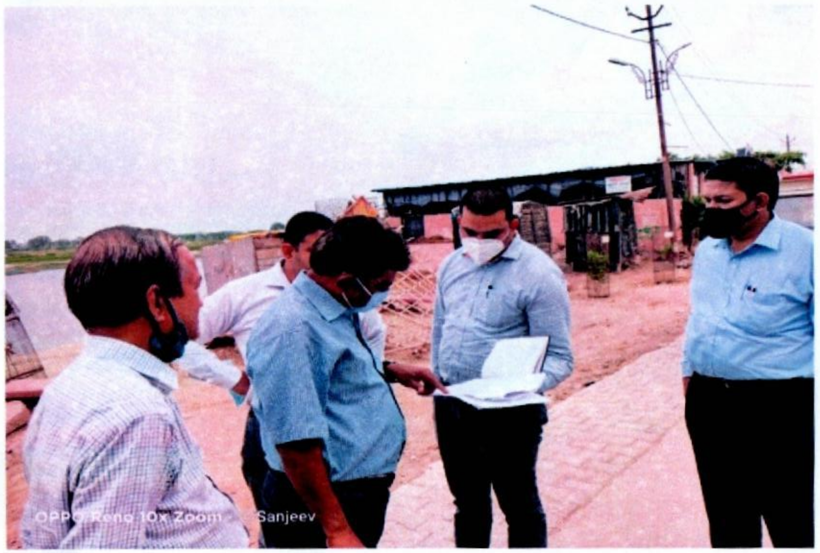

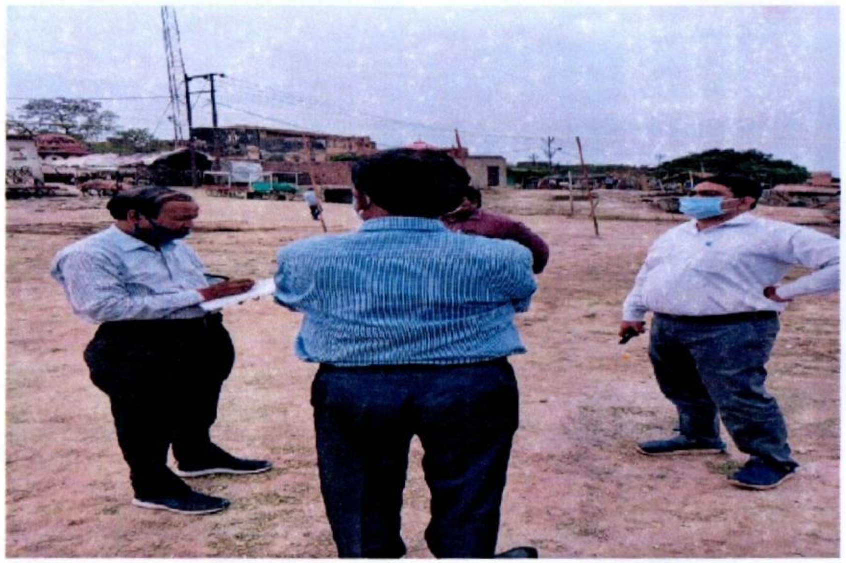

मा. राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित याचिका संख्या 1040/2019 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2020 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा गठित समिति के पदाधिकारियों द्वारा चीरघाट, विश्राम घाट पर स्थल निरीक्षण के फोटोग्राफ्स

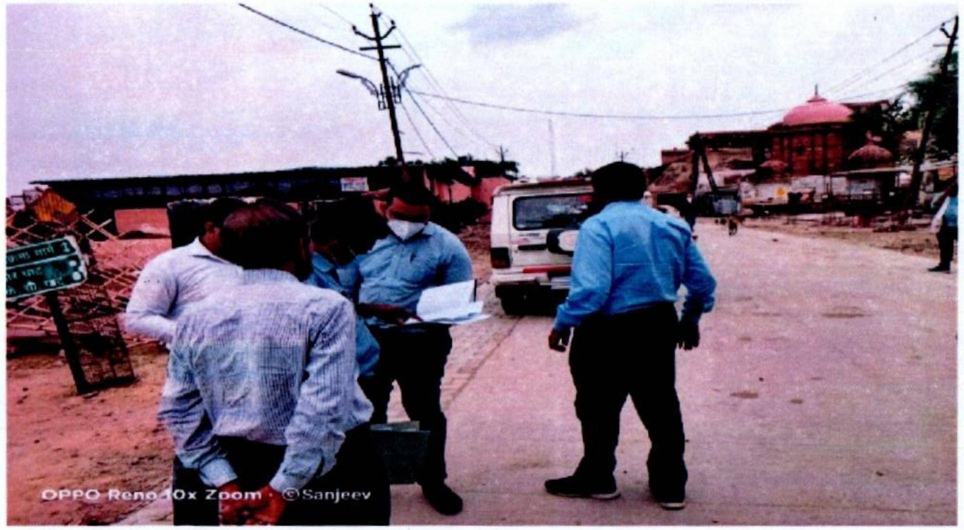

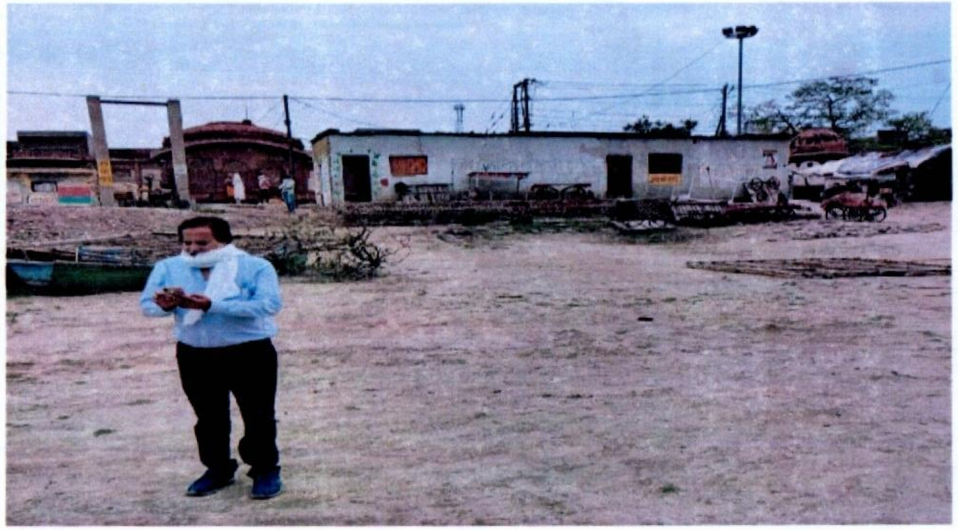

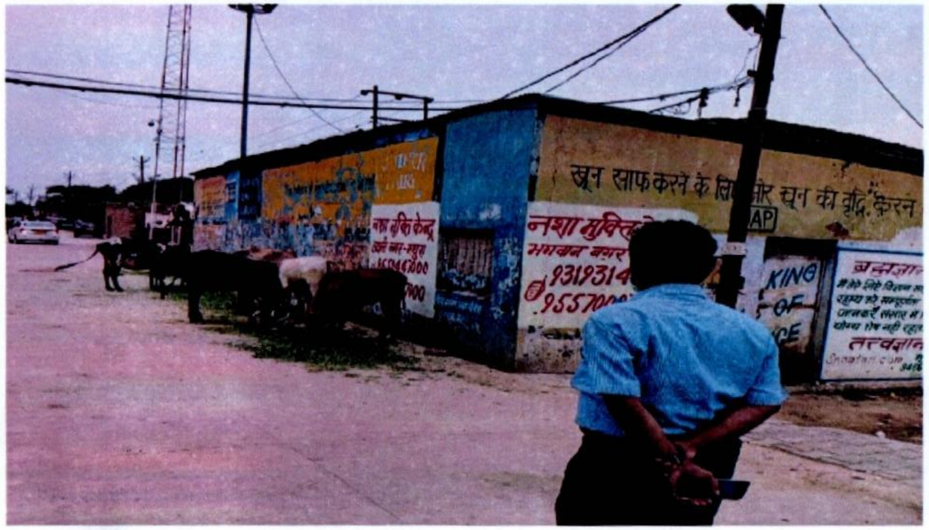

मा. राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित याचिका संख्या 1040/2019 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2020 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा गठित समिति के पदाधिकारियों द्वारा चीरघाट, विश्राम घाट पर स्थल निरीक्षण के फोटोग्राफ्स

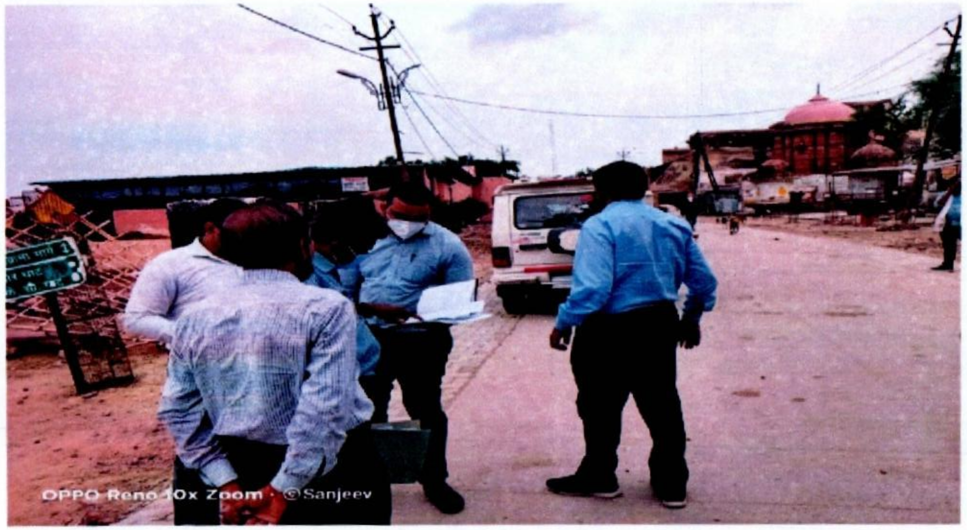

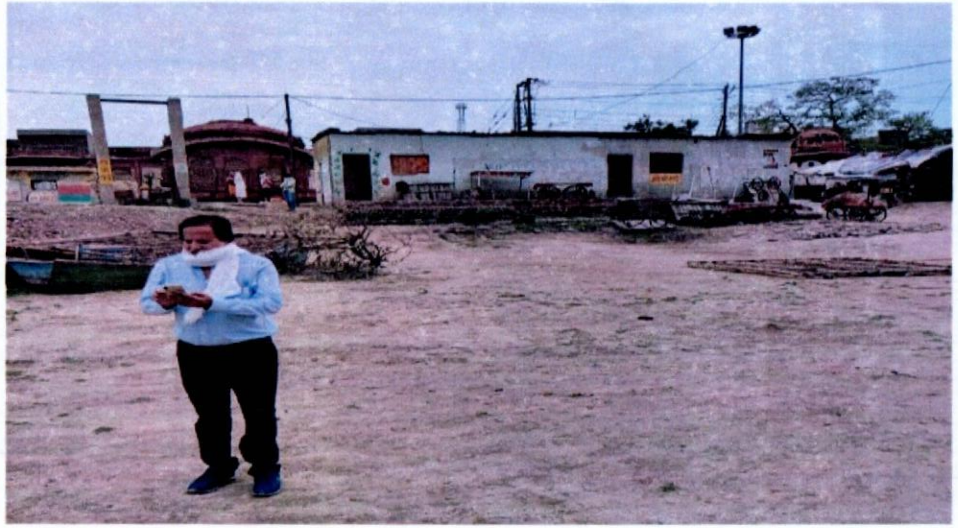

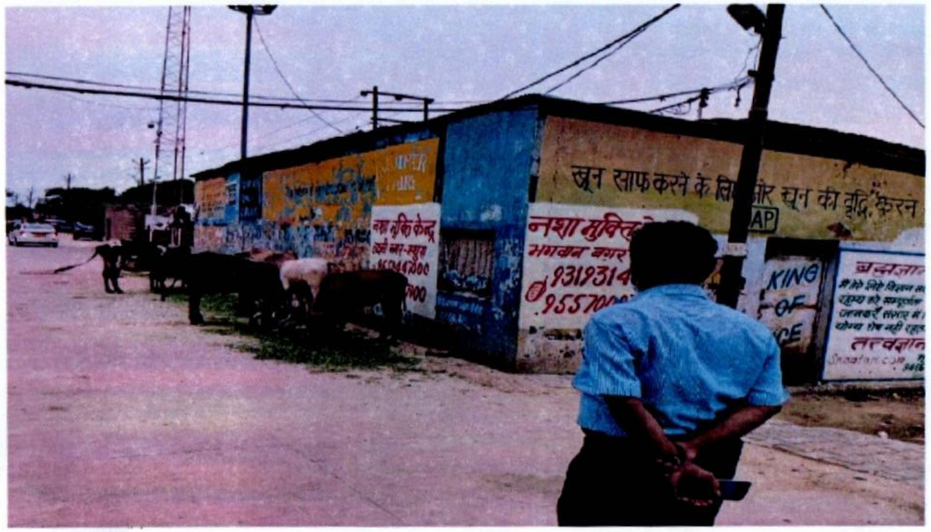

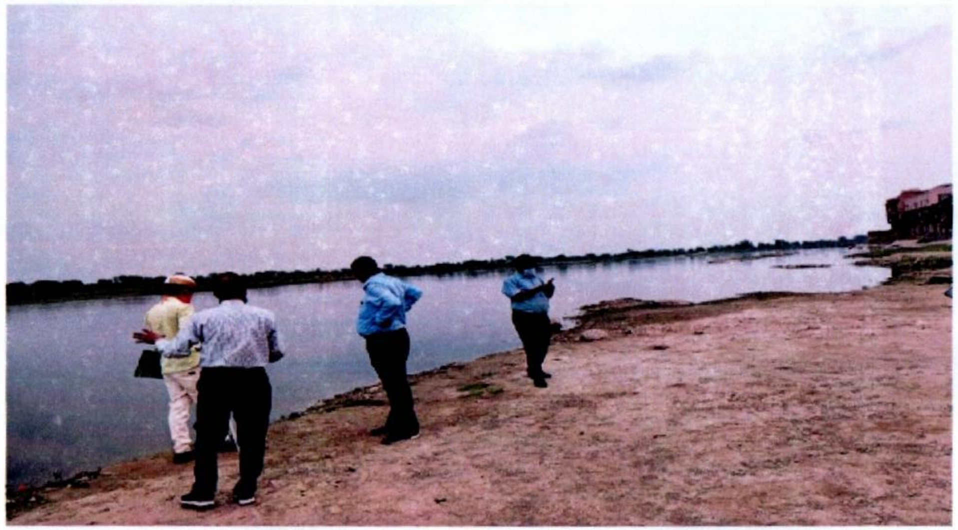

निरीक्षण आख्या

दिनांक 06.06.2020 को अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र संख्या– 1040/2019 (आई.ए. संख्या 38/2020) आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2020 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के कार्यालय आदेश सं0–226/ओ.एस.डी./2020 दिनांक 03.06.2020 के द्वारा गठित समिति के सन्दर्भ में बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारी/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. डा0 अरविन्द शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, मथुरा – (नामित सदस्य/सचिव)
2. श्री विशाल कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लोक निर्माण विभाग, मथुरा। (अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित) – सदस्य
3. श्री नीरज शर्मा, तहसीलदार सदर, मथुरा – सदस्य
4. श्री वचन सिंह, अधिशासी अभियन्ता, अपर आगरा नहर, मथुरा – सदस्य
5. श्री संजीव तिवारी, सहायक अभियन्ता, अपर आगरा नहर, मथुरा। – मा0 सदस्य क्रमांक 4 के साथ
6. श्री एन.एस. चौहान, सहायक अभियन्ता, म.वृ.वि.प्रा., मथुरा। – अध्यक्ष समिति के निर्देशानुसार

उपरोक्त सदस्यों के साथ सांयकाल 3:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में आहूत की गई बैठक में सभी सदस्यों को मा0 न्यायालय में पारित आदेश दि0 05.05.2020 की प्रति उपलब्ध करायी गई, तथा अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर उनके द्वारा विचार रखें गये। मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विभिन्न बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही एवं जिलाधिकारी, मथुरा महोदय के स्तर पर आगामी निर्धारित तिथि पर एक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया। इस क्रम में स्थलीय निरीक्षण हेतु बैठक उपरान्त समस्त उपस्थित सदस्य वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के श्रृंगारवट एवं चीरघाट स्थल पर एकत्रित हुए तथा स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि श्रृंगारवट, चीरघाट के समीप लोक निर्माण विभाग की कार्यदायी संस्था द्वारा बनाया गया स्थल कार्यालय/स्टोर अभी तक हटाया नही गया है एवं सिंचाई विभाग का स्थलीय कार्यालय बना हुआ है। स्थल पर सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र की भूमि यमुना डूब क्षेत्र में कुछ अस्थाई/स्थायी निर्माण पाये गये हैं, जिन्हें हटाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है, तथा यह भी निर्देशित किया गया कि इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र के अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु कार्य योजना एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत की जायें। लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड प्रथम द्वारा यमुना किनारा मार्ग की लगभग 400 मी0 लम्बाई में सीमेंट, कॉक्रीट, सड़क का निर्माण कुछ समय पूर्व किया गया है, जिसका उल्लेख याचिका में किया गया है। इसके निर्माण के सम्बन्ध में एवं स्थल पर बने हुए स्टोर को हटाये जाने के सम्बन्ध में विभागीय आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने हेतु सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं दूरभाष पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया।

केशीघाट के समीप यमुना डूब क्षेत्र/खादर मांट तहसील के अंतर्गत होने के कारण इस क्षेत्र में विधि सम्मत कार्यवाही किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी मांट, मथुरा को आवश्यक निर्देश दिये जाने आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी मांट, मथुरा को भी पत्र प्रेषित किया गया है।

13/7/20

(ईश्वर चन्द्र)
अध्यक्ष समिति/सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

पत्रांक 34। दिनांक 13-07-2020

o/c

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. श्री वचन सिंह अधिशासी अभियन्ता अपर आगरा नहर, मथुरा को उपरोक्त निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों के क्रम में अनुपालन एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में एक्शन प्लान एक पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लोक निर्माण विभाग, मथुरा को निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों के क्रम में अनुपालन एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में एक्शन प्लान एक पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु।
4. श्री नीरज शर्मा, तहसीलदार सदर, मथुरा को उपरोक्त निरीक्षण आख्या के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13/7/20

(ईश्वर चन्द्र)
अध्यक्ष समिति/सचिव

o/c

(04)
14/07/2020

कार्यालयः मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।

32, सिविल लाइन्स, मथुरा।

पत्रांक : 950 / म0वृ0वि0प्रा0 / 2020–21 दिनांक : 13 जुलाई, 2020

प्रेषक,

अध्यक्ष समिति / सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
मांट, मथुरा।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0–1040 / 2019 (आई.ए. संख्या 38 / 2020) आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य।

महोदय,

उपरोक्त वर्णित मूल योजित प्रार्थना पत्र सं0– 1040 / 2019 (आई.ए. संख्या 38 / 2020) आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2020 को पारित किये गये आदेश, जिसकी प्रति दांयी ओर संलग्न की जा रही है, में न्यायालय के समक्ष केशीघाट के समीप अवैध निर्माण के सम्बन्ध में पारित आदेश के पैरा 03 में इस तरह की व्यवस्था बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे कि नदी के बहाव में कोई बाधा उत्पन्न न हो सकें, तथा मा0 न्यायालय के आदेश के पैरा 04 में नियमानुकूल आगामी प्रभावी कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि केशीघाट के समीप मांट क्षेत्र अंतर्गत नदी के बहाव में किये गये अवैध निर्माण के विरूद्व एक पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति।

भवदीय

13/7/20

अध्यक्ष समिति / सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

O/C

13/7/20

अध्यक्ष समिति / सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

O/C

14/07/2020

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/समयबद्ध

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट मथुरा

संख्या 226 /ओ0एस0डी0/2020 दिनांकः 03 जून, 2020

आदेश

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 1040/2019 (आई0ए0 संख्या 38/2020) आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 05.05.2020 के कम में निम्नलिखित समिति गठित की जाती है जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के संलग्न आदेश दिनॉक 05.05.2020 के अनुपालन हेतु यथावश्यक कार्यवाही कर 15 दिन में अपनी आख्या प्रस्तुत करेगीः—

1.	सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा	सदस्य/सचिव
3.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (नि0खं0) मथुरा	सदस्य
4.	अधिशासी अभियन्ता, अपर आगरा नहर, मथुरा	सदस्य
5.	तहसीलदार, सदर	सदस्य

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में **निर्धारित तिथि से पूर्व अनुपालन आख्या** दाखिल कराना सुनिश्चित करें। समयबद्वता का विशेष ध्यान रखा जाय, ताकि कोई प्रतिकूल आदेश पारित न होने पाये। इसमें किसी प्रकार का बिलम्ब/त्रुटि अपेक्षित नहीं है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिला मजिस्ट्रेट,
मथुरा

प्रतिलिपि— समस्त सम्बंधित अधिकारीगण को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट,
मथुरा

निरीक्षण आख्या

दिनांक 06.06.2020 को अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र संख्या– 1040/2019 (आई.ए. संख्या 38/2020) आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2020 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के कार्यालय आदेश सं0– 226/ओ.एस.डी./2020 दिनांक 03.06.2020 के द्वारा गठित समिति के सन्दर्भ में बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारी/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. डा0 अरविन्द शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, मथुरा – (नामित सदस्य/सचिव)
2. श्री विशाल कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लोक निर्माण विभाग, मथुरा। (अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित) – सदस्य
3. श्री नीरज शर्मा, तहसीलदार सदर, मथुरा – सदस्य
4. श्री वचन सिंह, अधिशासी अभियन्ता, अपर आगरा नहर, मथुरा – सदस्य
5. श्री संजीव तिवारी, सहायक अभियन्ता, अपर आगरा नहर, मथुरा। – मा0 सदस्य क्रमांक 4 के साथ
6. श्री एन.एस. चौहान, सहायक अभियन्ता, म.वृ.वि.प्रा., मथुरा। – अध्यक्ष समिति के निर्देशानुसार

उपरोक्त सदस्यों के साथ सांयकाल 3:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय में आहूत की गई बैठक में सभी सदस्यों को मा0 न्यायालय में पारित आदेश दि0 05.05.2020 की प्रति उपलब्ध करायी गई, तथा अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर उनके द्वारा विचार रखें गये। मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विभिन्न बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही एवं जिलाधिकारी, मथुरा महोदय के स्तर पर आगामी निर्धारित तिथि पर एक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया। इस क्रम में स्थलीय निरीक्षण हेतु बैठक उपरान्त समस्त उपस्थित सदस्य वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के श्रृंगारवट एवं चीरघाट स्थल पर एकत्रित हुए तथा स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि श्रृंगारवट, चीरघाट के समीप लोक निर्माण विभाग की कार्यदायी संस्था द्वारा बनाया गया स्थल कार्यालय/स्टोर अभी तक हटाया नही गया है एवं सिंचाई विभाग का स्थलीय कार्यालय बना हुआ है। स्थल पर सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र की भूमि यमुना डूब क्षेत्र में कुछ अस्थाई/स्थायी निर्माण पाये गये हैं, जिन्हें हटाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है, तथा यह भी निर्देशित किया गया कि इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र के अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु कार्य योजना एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत की जायें। लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड प्रथम द्वारा यमुना किनारा मार्ग की लगभग 400 मी0 लम्बाई में सीमेंट, कॉक्रीट, सड़क का निर्माण कुछ समय पूर्व किया गया है, जिसका उल्लेख याचिका में किया गया है। इसके निर्माण के सम्बन्ध में एवं स्थल पर बने हुए स्टोर को हटाये जाने के सम्बन्ध में विभागीय आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने हेतु सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं दूरभाष पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया।

केशीघाट के समीप यमुना डूब क्षेत्र/खादर मांट तहसील के अंतर्गत होने के कारण इस क्षेत्र में विधि सम्मत कार्यवाही किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी मांट, मथुरा को आवश्यक निर्देश दिये जाने आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी मांट, मथुरा को भी पत्र प्रेषित किया गया है।

(ईश्वर चन्द्र) 13/7/20
अध्यक्ष समिति/सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

पत्रांक 341 दिनांक 13-07-2020

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. श्री वचन सिंह अधिशासी अभियन्ता अपर आगरा नहर, मथुरा को उपरोक्त निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों के क्रम में अनुपालन एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में एक्शन प्लान एक पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लोक निर्माण विभाग, मथुरा को निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों के क्रम में अनुपालन एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में एक्शन प्लान एक पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु।
4. श्री नीरज शर्मा, तहसीलदार सदर, मथुरा को उपरोक्त निरीक्षण आख्या के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(04) 14/07/2020

(ईश्वर चन्द्र) 13/7/20
अध्यक्ष समिति/सचिव

कार्यालयः मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।

32, सिविल लाइन्स,मथुरा।

पत्रांक : 350 /म0वृ0वि0प्रा0/2020–21 दिनांक : 13 जुलाई, 2020

प्रेषक,

अध्यक्ष समिति/सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
मांट, मथुरा।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0–1040/2019 (आई.ए. संख्या 38/2020) आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य।

महोदय,

उपरोक्त वर्णित मूल योजित प्रार्थना पत्र सं0– 1040/2019 (आई.ए. संख्या 38/2020) आकाश वशिष्ठ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2020 को पारित किये गये आदेश, जिसकी प्रति दांयी ओर संलग्न की जा रही है, में न्यायालय के समक्ष केशीघाट के समीप अवैध निर्माण के सम्बन्ध में पारित आदेश के पैरा 03 में इस तरह की व्यवस्था बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे कि नदी के बहाव में कोई बाधा उत्पन्न न हो सकें, तथा मा0 न्यायालय के आदेश के पैरा 04 में नियमानुकूल आगामी प्रभावी कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि केशीघाट के समीप मांट क्षेत्र अंतर्गत नदी के बहाव में किये गये अवैध निर्माण के विरूद्व एक पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति।

भवदीय

13/7/20

अध्यक्ष समिति/सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

O/c

13/7/20

अध्यक्ष समिति/सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

O/c

14/07/2020

Letter 443

पा(ए)
03/06/2020

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण / समयबद्ध

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट मथुरा

संख्या 226 / ओ0एस0डी0 / 2020 दिनांकः 03 जून, 2020

आदेश

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 1040 / 2019 (आई0ए0 संख्या 38 / 2020) आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 05.05.2020 के कम में निम्नलिखित समिति गठित की जाती है जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के संलग्न आदेश दिनॉक 05.05.2020 के अनुपालन हेतु यथावश्यक कार्यवाही कर 15 दिन में अपनी आख्या प्रस्तुत करेगीः–

1.	सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा	सदस्य / सचिव
3.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (नि0खं0) मथुरा	सदस्य
4.	अधिशासी अभियन्ता, अपर आगरा नहर, मथुरा	सदस्य
5.	तहसीलदार, सदर	सदस्य

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में **निर्धारित तिथि से पूर्व अनुपालन** आख्या दाखिल कराना सुनिश्चित करें। समयबद्वता का विशेष ध्यान रखा जाय, ताकि कोई प्रतिकूल आदेश पारित न होने पाये। इसमें किसी प्रकार का बिलम्ब / त्रुटि अपेक्षित नहीं है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिला मजिस्ट्रेट,
मथुरा

प्रतिलिपि– समस्त सम्बंधित अधिकारीगण को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट,
मथुरा

Item No. 08 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1040/2019

Akash Vashishtha Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 20.12.2019

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE S.P WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s): Mr. Rahul Choudhary, Advocate

ORDER

1. Grievance in this application is that road is being illegally constructed on the river bed of Yamuna in Vrindavan, Mathura between Shringarvat and Keshi *Ghat* and other illegal constructions including multistoried buildings have also come up on the active floodplains and riverbed of the Yamuna in the holy town of Vrindavan. Irreparable damage is being done to ancient *Ghats* by filling the steps of the ancient *Ghats*, including Cheer *Ghat*, Govind *Ghat* and Bhramar *Ghat*, have also been filled with construction rubble and debris to build an approach road to transport the construction rubble and debris, in order to reclaim land for the construction of the illegal metalled road.

2. It is alleged that the said activities are in violation of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order 2016 and the Water (Prevention and Control of Pollution

Act) 1974, as noted in the report of Prof. C.R. Babu dated 14.08.2019.

3. Let the veracity of the allegations be verified by a joint Committee UP State PCB, UP Irrigation Department and District Magistrate, Mathura. The joint Committee may look into the matter and furnish a factual and action taken report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The nodal agency will be State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination.

Copies of this order be sent to State PCB, UP Irrigation Department and District Magistrate, Mathura by e-mail.

Applicant may furnish set of papers to the State PCB, UP Irrigation Department and District Magistrate, Mathura and file affidavit of service within one week.

List for further consideration on 12.03.2020.

NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P Wangdi, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

December 20, 2019
Original Application No. 1040/2019
A